ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0031713

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
02.09.13	आवेदक की ओर से श्री अंसारी, अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री रंजीत कुमार, जूनियर इंजीनियर उपस्थित । 1. प्रकरण क्रमांक L0025312 मेसर्स मंगलम प्रोसेसर्स विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में विद्युत लोकपाल का पारित आदेश दिनांक 20.11.2012 का पालन अनावेदक की ओर से नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में उपभोक्ता की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई है । 2. उपभोक्ता की आपत्ति का मुख्य आधार यह है कि विद्युत लोकपाल ने 45158/– रू. अथवा 19,845.60 पैसे के संबंध में यह आदेश दिया था कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी उक्त राशि उपभोक्ता से वसूल पाने की अधिकारी नहीं है, जबकि अनावेदक कम्पनी उपभोक्ता से 26,113/– रू. पहले ही वसूल कर चुकी थी । उक्त 26,113/– रू. कम्पनी ने अवैध रूप से उपभोक्ता से वसूल किए थे, अतः यह राशि उपभोक्ता कम्पनी से प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु कम्पनी द्वारा उक्त राशि उपभोक्ता को नहीं दी जा रही है । 3. उभयपक्ष को सुना गया । संबंधित प्रकरण का अवलोकन किया गया । 4. उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, उसके अनुसार उपभोक्ता ने इस आशय का अनुतोष चाहा था कि विद्युत वितरण कम्पनी ने उसे 45,151/– रू. का जो देयक जारी किया है उसे वह समय बाधित होने के कारण वसूल पाने के योग्य नहीं है । उपभोक्ता की उक्त शिकायत के संबंध में अनावेदक कम्पनी द्वारा यह जवाब प्रस्तुत किया गया था कि उपभोक्ता ने अक्टूबर 2006 से अप्रैल 2007 तक ट्रांसमिशन लॉसेस जमा कर दिया है, अतः इस बिन्दु पर ऑडिट ने जो आपत्ति की है वह मान्य किए जाने योग्य नहीं है । 5. इसी तथ्य के परिपेक्ष्य में विद्युत लोकपाल द्वारा यह आदेश दिया गया था कि अनावेदक कम्पनी उपभोक्ता से 45,158/– रू. अथवा 19845.60 पैसे वसूल पाने की अधिकारी नहीं है । इस तरह का आदेश करने का अर्थ यह था कि उपभोक्ता को 45000/– रू. का देयक जारी किया गया था, परन्तु अनावेदक कम्पनी ने यह स्वीकार किया था कि उक्त देयक में से ट्रांसमिशन लॉसेस उपभोक्ता द्वारा पूर्व में ही जमा किया जा चुका है, अतः ट्रांसमिशन लॉसेस के रूप में जो राशि 45,158/– रू. में समाहित थी, उसे अनावेदक कम्पनी वसूल पाने की अधिकारी नहीं थी । 6. 45158/– रू. का जो देयक जारी किया गया था उसके पूर्व उपभोक्ता ने ट्रांसमिशन लॉसेस के रूप में जो रू. जमा किए थे वह राशि उपभोक्ता से गलत ढंग से वसूल की गई थी । इस तथ्य को स्पष्ट रूप से चुनौती उपभोक्ता द्वारा फोरम के समक्ष नहीं दी गई थी तथा फोरम द्वारा और विद्युत लोकपाल द्वारा इस बिन्दु का परीक्षण नहीं किया गया था ।	

ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0031713

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
	पूर्व पृष्ठ से निरन्तर ..... 7. इसी कारण उपभोक्ता को कोई राशि वापस करने या राशि को समाहित करने का आदेश नहीं दिया गया था । अतः प्रश्नगत आदेश के परिपेक्ष्य में उपभोक्ता विद्युत वितरण कम्पनी से ट्रांसमिशन लॉसेस के रूप में जमा की गई राशि को विद्युत वितरण कम्पनी से वापस प्राप्त करने का अधिकारी होना नहीं पाया जाता है । ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विद्युत लोकपाल के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है । परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत उक्त शिकायत को निरस्त किया जाता है । 8. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए । **विद्युत लोकपाल** **प्रतिलिपि :** 1. आवेदक की ओर प्रेषित । 2. अनावेदक की ओर प्रेषित । 3. फोरम की ओर प्रेषित । **विद्युत लोकपाल**	